भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेस-II, नौएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर
Government of India, Min. of Commerce & Industry, Deptt. of Commerce,
Office of the Development Commissioner
NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE
Noida Dadri Road, Phase-II, NOIDA-201305, Distt. Gautam Budh Nagar , U.P.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फा. न. एन.एस.ई.जेड/Sec./8/96 8333 23/7/19 दिनांक: 22.07.2019

नोटिस

श्रम अनुभाग - 1, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से एक कार्यालय ज्ञापन 666/36-1-2019-40(ST)/99 दिनांक 09.07.2019 (प्रति संलंग्न) प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार तात्कालिक प्रभाव से नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक विवाद अधिनियम (केन्द्रीय) 1947 (सन 1947 का अधिनियम 14) तथा उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सन 1947 का अधिनियम 28) के अंतर्गत समस्त कार्य अब श्रमायुक्त, उ० प्र० तथा श्रमायुक्त संगठन के अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे |

अतः विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में NSEZ में स्थित सभी इकाइयों एंव उत्तर प्रदेश में स्थित सभी SEZ की इकाइयों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम (केन्द्रीय) 1947 (सन 1947 का अधिनियम 14) तथा उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सन 1947 का अधिनियम 28) के अंतर्गत समस्त कार्य हेतु उप श्रमायुक्त, उ० प्र०, सेक्टर – 3, नौएडा के कार्यालय में संपर्क करें | अन्य सभी श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्य पूर्व की भांति विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा सम्पादित किये जायेंगे |

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

रवि कुमार श्रीवास्तव

(रवि कुमार श्रीवास्तव)
उप विकास आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित: -

1. NSEZ में स्थित सभी इकाइयाँ |
2. उत्तर प्रदेश में स्थित सभी SEZ इकाइयाँ |
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर |
4. निदेशक, उद्योग बन्धु, कानपुर |
5. जिलाधिकारी,गौतमबुद्धनगर |
6. उप श्रमायुक्त, सेक्टर – 3, नौएडा, गौतमबुद्धनगर |
7. नोटिस बोर्ड (सर्विस सेंटर)
8. नोटिस बोर्ड (गेट)
9. NSEZ वेबसाइट |

City Office : Jawahar Vyapar Bhawan, IVth Floor, Tolstoy Marg, New Delhi-110016
Tel. Zone Office : [Code- from outside 0120 / from Delhi 95120)] 2567270 - 73 (4 Lines), Fax : 2562314, 2567276
City Office Telefax : 011-23701096, E-mail : < dcnepz@nda.vsnl.net.in > : Website: < www.nsez.gov.in >

In Dak M.
JDC
Pup
16/7.

उत्तर प्रदेश शासन;
श्रम अनुभाग–1,
संख्या–666 / छत्तीस–1–2019–40(एसटी) / 99
लखनऊ दिनांक : 9 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन) में औद्योगिक विवाद अधिनियम (केन्द्रीय) 1947 (सन 1947 का अधिनियम 14) तथा उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सन 1947 का अधिनियम 28) के अन्तर्गत समस्त कार्य श्रमायुक्त, उ0प्र0 तथा श्रमायुक्त संगठन के अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे, अन्य श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत समस्त कार्य पूर्व की भांति विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

2– इस विषय में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1955/ 36–1–2000–40 (एस0टी0) /99, दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–91जीआई0/ 36–1– 2000– 40(एस0टी0)/99, दिनांक 14 दिसम्बर/2000 द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या–666 (1)/36–1–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नोएडा, जनपद–गौतमबुद्धनगर।
2– श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3– निदेशक, उद्योग बन्धु, कानपुर।
4– जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5– उप श्रमायुक्त, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
6– श्रम अनुभाग–2,3,4,5 व 6 ।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE
Dy. No. 302
Dt. 15/7/19
NOIDA

Scanned by CamScanner